न्यायालय उपखंड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा (भीलवाड़ा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील पत्रावली राजस्व जज प्र.सं. 221/17	
2/11/17	पत्रावली न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा में पुनर्विचार [illegible] के अधिवक्ता [illegible] के उपस्थित हुए। पत्रावली दिनांक 13/12/18 को बहस आगामी कार्यवाही हेतु पेश हो। उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा	
13/12/18	उभय पक्ष उपस्थित [illegible] अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। [illegible] पत्रावली दिनांक 11/6/19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी करेड़ा	
11/6/19	पत्रावली राजस्व अपील अदालत अधिनियम नियम अपील 2014 के तहत ग्राम पिलोदा पर पेश हुई। मूल वाद सं. 413/2017 के वादी का वाद पत्र खारिज किये जाने का निर्णय पारित हो चुका है। प्रतिवादी का उपस्थित अधिनियम अंतर्गत कार्य [illegible] अधिनियम पर कोई कार्यवाही अपील नहीं रहजाती है। अतः दर्ज रजिस्टर सेकम कर पेश शुमार हो। मूल पत्रावली साथ संलग्न रहे। उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा	

Scanned by CamScanner